

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/ 9705

दिनांक - 10.12.25

प्रार्थी बनाम

अप्रार्थीगण

1 देशलाराम 2  
शंकराराम पिसरान  
पूनमाराम जाति मेघवाल  
निवासी दरुडा पटवार  
हल्का मारुडी तहसील  
व जिला बाउमेर।

1 शिवलाल पुत्र राऊराम वगैराह जाति भील निवासी दरुडा  
पटवार हल्का मारुडी तहसील व जिला बाउमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :-121/2025

दिनांक- 04/12/2025

## आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा दरुडा पटवार क्षेत्र मारुडी तहसील व जिला बाउमेर के खसरा संख्या 131  
रकबा 4.4111 हैक्टेयर व खसरा संख्या 624/250 रकबा 2.4909 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम  
स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाउमेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त  
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक  
तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा  
जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे।  
कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण  
द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

दिनांक- 10.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/ 9706 - 9709

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाउमेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मारुडी तहसील बाउमेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित  
रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण देशलाराम पुत्रपूनमाराम जाति मेघवाल निवासी दरुडा पटवार हल्का मारुडी तहसील व  
जिला बाउमेर।
4. विप्रार्थीगण शिवलाल पुत्र राऊराम वगैराह जाति भील निवासी दरुडा पटवार हल्का मारुडी  
तहसील व जिला बाउमेर।

उपखण्ड अधिकारी,  
बाड़मेर

